

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (

उत्तर

बनाम

वृत्तिवाली

किस मुकदमा

श्रीमती पत्थरगढी

नं.

सं.

क्र. - 45/2022

तारीख हुक्म
08.10.2025

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

दिनांक 27.08.2025 से इकजाई तारीख पेशी दिये

जाने पर आज पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् अनुपस्थित प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रूक-रूक कर बार-बार आवाज दिलाई गई। बावजूद आवाजों के भी वकुलाय उभय पक्षकारान् में से कोई भी हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकुलाय उभय पक्षकारान की अनुपस्थिती में प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

